500 शिल्पियों को मिलेगा सामूहिक बीमा का तोहफा

मार्च में होने वाले अंतरराष्ट्रीय बुनकर कॉन्क्लेव में लांच होगा यूपीआईडी एप

अमर उजाला ब्यूरो

वाराणसी।

एमएसएमई मंत्रालय की संस्था उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन (यूपीआईडी) की ओर से मार्च के अंतिम हफ्ते में अस्सी घाट पर अंतरराष्ट्रीय बुनकर कॉन्क्लेव आयोजित किया जाएगा। कॉन्क्लेव में विभिन्न देशों के नामी डिजाइनर शामिल होंगे, जो वाराणसी के शिल्प को देखने, परखने के साथ ही उनके लिए वैश्विक बाजार का आधार तैयार करेंगे। यूपीआईडी की ओर से कॉन्क्लेव में पांच सौ शिल्पियों, बुनकरों को मुफ्त सामूहिक बीमा का तोहफा दिया जाएगा। साथ ही, यूपीआईडी एप की लॉचिंग की जाएगी। यह एप बुनकरों, शिल्पियों के लिए ऐसा मंच बनेगा, जहां डिजाइनर, उद्यमी और देश-विदेश के खरीदारों से वे सीधे जुड़ सकेंगे। उत्पाद के संबंध में सलाह, जरूरत और उन्हें बेचने, खरीदने की सुविधाएं इस एप के जरिए उन्हें मुहैया होंगी।

यूपीआईडी की अध्यक्ष क्षिप्रा शुक्ला से मुलाकात करते बुनकर। अमर उजाला

यह जानकारी शनिवार को यूपीआईडी की अध्यक्ष क्षिप्रा शुक्ला ने पत्रकारों से बातचीत में दी। बताया कि कॉन्क्लेव में वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों से जुड़े बुनकर और शिल्पी शामिल होंगे। यूपीआईडी एप के जरिए उन्हें एक ऐसा मंच मुहैया कराया जाएगा, जहां वह अपनी जरूरत के अनुरूप उत्पाद की डिजाइनिंग और मार्केटिंग से जुड़ी सुविधाएं हासिल कर पाएंगे।

केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के सहयोग से बुनकरों के लिए मंडलवार शिविर लगाने की योजना भी बनाई जा रही है। यूपीआईडी अपने छात्र-छात्राओं को स्टार्टअप शुरू करने और उनके उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री में भी मदद करेगा।

दस साल बाद डिग्री मिली फर्जी, निरस्त

वाराणसी। फर्जीगिरी के आरोप में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय प्रशासन ने राम प्रकाश शुक्ला की डिग्री निरस्त कर दी है। राम प्रकाश ने विश्वविद्यालय से वर्ष 2004 में शास्त्री व वर्ष 2008 में आचार्य की उपाधि हासिल की थी। इस प्रकार डिग्री हासिल करने के दस साल बाद उपाधि निरस्त की गई है।

आरोप है कि इंटर संस्कृत में 40 फीसद अंक होने के बावजूद हेराफेरी कर राम प्रकाश ने कानपुर के बलदेव सहाय संस्कृत महाविद्यालय में दाखिला लिए थे। जबकि विश्वविद्यालय के शास्त्री में दाखिले के लिए इंटर संस्कृत में 45 फीसद अंक अनिवार्य है। इसके लिए उन्होंने जाली अंकपत्र का उपयोग किया। शिकायत के आधार विश्वविद्यालय ने इस मामले की जांच कराई। आरोप सही निकला। इसे देखते हुए परीक्षा समिति ने राम प्रसाद की डिग्री निरस्त करने के साथ ही विविध कार्रवाई की भी की संस्तुति की है। ब्यूरो